

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

आदेश

ग्वालियर, दिनांक- 14/8/2015

क्रमांक- 19 /स्था0एक/रा0नि0ब0/86/2015 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित राजस्व निरीक्षक चयन परीक्षा 2015 में मेरिट के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को राजस्व निरीक्षक के वेतनमान 5200-20200+2400 ग्रेड वेतन में उनके नाम के सामने दर्शाये गये जिले में नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु नामांकित किया जाता है :-

स0क0	नाम/पिता का नाम	पता	नियुक्ति हेतु नामांकित जिले का नाम
1	2	3	4
1	श्री विकास पटेल/ सुरेश	177 बी सिलिकॉन सिटी, ए0बी0रोड, इन्दौर 452012	उज्जैन
2	योगिता रानी मार्को/ जयसिंह	वार्ड नं0 20 देवनगर, राजीव कालोनी, मण्डला 481661	उज्जैन
3	रोशनी जाधव/नवल सिंह	308 ऐरीकेशन कालोनी के पास, सनावद खरगोन 451111	उज्जैन
4	श्री जगदीश रन्धा/ तुतला	ग्राम अजन्तार पोस्ट देहरी तहसील गंधवानी, धार 454221	उज्जैन
5	श्री उमेश वरदे/ देवीसिंह	3410 ई सुदामानगर, हवा बंगला रोड, इन्दौर 452009	उज्जैन
6	श्री सुमीत अरोरा/जतन सिंह	402 181 छावरा आरकेड विद्यानगर सपना संगीता टॉकिज के पीछे, इन्दौर, 452001	उज्जैन
7	कोमल चारेल/भीमसिंह	9/3 पुलिस कालोनी, अलकापुरी रतलाम 477001	उज्जैन
8	श्री गणेश मोरे/ गोकुल मोरे	ग्राम मोरवा पोस्ट इगेरिया तहसील झिरनिया खरगोन, 451332	उज्जैन
9	श्री अतुल मिश्रा/डी.पी. मिश्रा	एमआईजी 981, दीनदयाल नगर, मकरोनिया सागर 470004	उज्जैन
10	श्री एम0डी0सादीक/एम.डी. नाजिम	2341, बस स्टेण्ड दमुहा के पास वार्ड नं. 13, दमुहा छिंदवाडा 480555	उज्जैन

संबंधित जिला कलेक्टर निम्न निर्देशों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार अविलम्ब नियुक्ति आदेश प्रसारित करेगे । नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व व्यापम से प्राप्त चयन सूची (साफ्ट कॉपी)/आवेदक के प्रमाण पत्रों की नस्ती एवं फोटो सहित आवेदन इस कार्यालय से विशेष वाहक से प्राप्त कर ले ।


1- नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी । इस अवधि में निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा ।

2- नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के एक माह की समयावधि में पुलिस अधीक्षक से पुलिस सत्यापन एवं मेडीकल बोर्ड/सिविल सर्जन से मेडीकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने की कार्यवाही की जावे ।

3- अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक अर्हता/तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्रों का जारीकर्ता कार्यालय/संस्था से सत्यापन भी कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। अयोग्य पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जावेगी।

4- नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पश्चात इनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशिक्षण शालाओं के आवंटन बावत् पृथक से निर्देश जारी किये जावेगे।

5- नियुक्ति आदेश जारी किये जाने के पश्चात तदाशय की सूचना राजस्व विभाग भोपाल व इस कार्यालय को तत्काल भिजवाई जावे।


आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त,
मध्य प्रदेश


पृ0कमांक 1698/स्था0एक/रा0नि0ब0/86/2015

ग्वालियर, दिनांक- 14/8/2015

प्रतिलिपि :-

- 1- निज सहायक माननीय राजस्व मंत्री, म0प्र0शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 3- अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 4- कलेक्टर भू-अभिलेख जिला ~~उज्जैन~~.....म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी, अनुभाग 10 परीक्षा मुख्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 6- संबंधित अभ्यार्थी श्री/श्रीमती/कु0

..... की
ओर सूचनार्थ। कृपया नामांकित जिला कार्यालय में आगामी कार्यवाही हेतु शीघ्र सम्पर्क स्थापित करें।


आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त,
मध्य प्रदेश